कार्यालय अधीक्षक, सब जेल धरमुपरी जिला धार (म.प्र.)

वार्षिक तृतीय निविदा वर्ष 2026–27

–:: ई–निविदा की संशोधित शर्ते ::–

1. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए खाद्यान ,सब्जियाँ, दवाईयाँ, स्वच्छता/विघुत सामग्री एवं अन्य सामग्री के क्रय की कार्यवाही म.प्र. जेल पूर्ति नियम, 1968 एंव मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के अन्तर्गत ई–टेन्डरिंग के माध्यम से अर्थात ऑनलाईन की जायेगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रू 500 एवं 5 लाख से अधिक रू 1000/– प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 जेलें–800 अन्य प्राप्तियों में जमा करना होगा।
3. निविदाएं खंडवार पृथक–पृथक ऑनलाईन जमा की जाएंगी। निविदा में 3 प्रतिषत निविदा प्रतिभूति की राषि खंडानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जाऐगी। 3 प्रतिषत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राषि का विवरण निम्नानुसार है :–

कं	खण्ड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत बयाने की राशि
1.	खाद्यान्न	25,00,000	75,000
2.	स्वच्छता एवं विघुत सामग्री	5,00,000	15,000
3.	भवन एवं स्टेशनरी सामग्री	4,00,000	12,000
4.	दवाईयाँ, उपकरण, लैब सामग्री एवं चिकित्सकीय जाँच	1,00,000	3000

4. वार्षिक ई–निविदा में दर्शायी गई वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैध रहेगें।
5. खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।
6. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी,जो वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगें। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले 03 माह का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछली तिमाही का जी.एस.टी. प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएगीं। तिथि परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रू॰ से सूचित किया जावेगा।
8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम 1894 की धारा–10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश परिपत्र क्रमांक 05/वारंट–3/दिनांक 28.01.2015 के

CS CamScanner

प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) में पृथक–पृथक 200–200 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित एक शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से बनाये व ई–टेण्डर पर अपलोड करें। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।

प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक–पृथक शपथ पत्र बनाया जाए। शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार हैः–

शपथ पत्र–अ

(कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरुप)

मैं .... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल ....के लिए सामग्री के प्रदाय हेतु फर्म .... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म .... के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश में जेल विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथपत्र–ब

(जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्रमांक 05/वारन्ट–3/बंदी मृत्यु/2015/भोपाल, दिनांक 28.01.2015)

मैं .... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल .... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म .... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म .... के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

9. तहसील या मंडी या खाद्यान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर यह दरें एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथी बढाई जा सकेगी।
10. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड कराएं जाएंगे। तकनीकी बिड खुलने के पष्चात ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किए जायेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बि डमें पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेंगे :–
    - i. आधार कार्ड एवं पैनकार्ड
    - ii. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र।
    - III. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञप्ति प्रकाषित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.सी.टी. रिटर्न अथवा पिछली तिमाही का जी.एस.टी. रिटर्न भरने का प्रमाण पत्र।
    - IV. विगत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
    - V. शपथ पत्र 'अ' एवं 'ब' (मूल प्रति में)।

CamScanner

VI. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैध लायसेंस।

VII. खाद्य वस्तुओं/दवाईयों के लिए खाघ संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रेशन अथवा वैध अनुज्ञप्ति (लायसेंस)।

VIII. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद का वैध लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैध लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।

IX. दवाईयों की निविदा हेतु वैध ड्रग लायसेंस।

X. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से संबंधित–पत्र।

XI. वस्तुओं के ब्राण्ड से संबंधित–पत्र।

XII. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का घोषणा–पत्र।

11. निविदा के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज यदि फर्जी अथवा गलत पाए जाते हैं तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

12. निविदा में उल्लेखित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होगें। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिए निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं उन सामग्रियों के ब्रैंड तथा मेक का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना आव''यक है। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्रैंड नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूने 500–500 ग्राम के पारदर्शी डब्बों में समान गुणवत्ता वाले दो–दो पैक में फर्म का नाम लिखकर, नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर, स्व–हस्ताक्षरित फर्म की सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13. नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जायेगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूने अनुमोदन पष्चात सीलबंद डिब्बे में रखे जायेगें। निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुए साफ–सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाई जायेगी। व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताविक होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगी।

14. निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवष्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरंत वापस ले जाकर नमूने अुनसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (performance Guarantee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैकलिस्टेड करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

15. सब्जियाँ साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 07 बजे से 09 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट पर पहुचानी होगी। निर्धारित समय तक सब्जियाँ प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुले बाजार से सब्जियाँ क्रय की जाएंगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी।

CS CamScanner

ठेकेदार द्वारा विलंब से भेजी गई सब्जियां वापस कर दी जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे। सब्जियां जेल बगीचे से उपलब्ध न होने की दशा मे ही ठेकेदार से क्रय की जायेगी।

16. दवाईयों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैध ड्रग लायसेंस अपलोड करना आवष्यक है। जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कम्पनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हो, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है। दवाईयां एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी। निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियों हेतु मांग किए जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ति करनी होगी।

17. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुए शासकीय/अर्धशासकीय/शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही, स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जायेगी।

18. जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो, उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टांप (वाणिज्यिक कर) विभाग मध्य प्रदेश के निर्धारित स्टांप शुल्क अनुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति संबंधित जेल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

19. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी। ठेके की शर्तो के क्रियान्वयन के लिए सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (performance Guarantee) डिमांड ड्रॉफ्ट/मियादी जमा रसीद/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी/Irrevocable के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापान संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राषि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।

20. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन के उपरांत ही मान्य होंगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L_1) निविदा वापस लेते हुए करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (performance Guarantee) जमा करने से इन्कार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गई 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राषि जप्त कर ली जायेगी और संबंधित खण्ड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जायेगी।

21. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियां समझौतें के अनुसार किश्तों में आवश्यकतानुसार दैनिक/ साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेन्ट के आधार पर संबंधित जेल के गेट पर करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। इंडेट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकर की होगी।

22. प्रत्येक निविदाकर को पत्राचार करने के लिए अपने मोबाइल नम्बर/व्हाटसअप नंबर/ई–मेल आई डी में देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिटेंड लेटर पेड पर मोबाइल नम्बर/व्हाटसअप नंबर/ई–मेल आई डी में सें कोई एक भी अंकित किया है, तो उसे भी मान्य किया जावेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।

CS CamScanner
CS CamScanner

23. देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई–पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जायेगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु, डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक पर बैंक का कमीषन भी व्यापारी से काटा जायेगा। देयकों के भुगतान में बिलम्ब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

24. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंषतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।

25. निविदा तथा करारनामें के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

26. दर एवं किमत दोनो के कॉलम में कीमत अंकित की जाती है, साथ ही यदि कोई फर्म द्वारा किसी सामग्री के लिए दरें नही डाली जाती हैं तो उसके लिए Not quoted के विकल्प का प्रयोग किया जाना उचित है न कि 0 शून्य डालना जिससे एल–1 प्रभावित होती है।

सहायक जेल अधीक्षक
सब जेल धरमपुरी जिला धार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahalaxmi Singh
Date: 2026.05.05 15:27:42 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

CamScanner